



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)
PART II - Section 3 - Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 1330] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 30, 2007 / कार्तिक 8, 1929
No.1330] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2007 / KARTIKA 8, 1929

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2007

का.आ. 1850 (अ). - बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा 1 नवम्बर, 2007 के दिन को ऐसी तारीख नियम करती है, जिससे उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा.सं. 10-5/2007-सीएम]
पी. बोलीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD
DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2007

S.O. 1850 (E) - In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (6 of 2007), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2007, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 10-5/2007-CM]
P. BOLINA, Jt. Secy.